

न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर
अपील संख्या- 21/2014 आर्म्स एक्ट
(GCMS No. 2014/00054)

अनवान:

1. राजकुमार पुत्र श्री महावीर प्रसाद जाति जाट निवासी डबलीराठान
मौलवी पुलिस थाना सदर, तहसील व जिला हनुमानगढ़।

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर हनुमानगढ़।

03.07.2024

पत्रावली प्रस्तुत हुई। अभिभाषक अपीलांत अनुपस्थित।
अभिभाषक अपीलांत एवं अपीलांत को बार-बार आवाज लगाई गई।
बार-बार आवाज लगाए जाने के बावजूद न तो अभिभाषक अपीलांत
उपस्थित हुए एवं न ही अपीलांत स्वयं उपस्थित हुए। न्याय चाहने की
तत्परता व कोशिश का अभाव अपील चलाने में अरुचि जाहिर करती है।
अतः उक्त अपील अपीलान्त राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की
धारा 63(1) के तहत अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज की जाती है।
आदेश की प्रति अपील पत्रावली में शामिल होकर एवं अधीनस्थ
न्यायालय का रिकार्ड मय आदेश की प्रमाणित प्रति प्रेषित होकर पत्रावली
सुव्यवस्थित रखी जावे। आदेश आज दिनांक 03.07.2024 को सुनाया
गया।

03/07/24
(वन्दना सिंघवी)
संभागीय आयुक्त,
बीकानेर

